प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

युगल पीठ - **माननीय श्री अभय मनोहर सप्रे, न्यायाधीश और**

माननीय श्री मनिंद्रा मोहन श्रीवास्तव, न्यायाधीश

रिट अपील क्रमांक 131/2010

अपीलकर्ता पीताम्बर दास मानिकपुरी

बनाम

प्रत्यर्थीगण नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एल.टी.डी. व अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित :

श्री अंशुमन श्रीवास्तव, अधिवक्ता अपीलकर्ता की ओर से ।

श्री बी.डी. गुरु, अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण की ओर से ।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (युगल पीठ में अपील) अधिनियम, 2006 **की धारा** 2(1) **के अंतर्गत, तथा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय नियम**, 2007 **के नियम** 158(10) **के साथ पठित, युगल पीठ के समक्ष अपील।**

निर्णय

(दिनांक **25** अप्रैल **2012** को पारित**)**

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश श्री अभय मनोहर सप्रे, न्यायाधीश द्वारा दिया गया था।

सुना गया ।

2. यह अपील स्वर्गीय श्री पुनीदास मानिकपुरी के पुत्र द्वारा (जो कि रिट याचिका (सेवा) क्रमांक **6657/2007** में रिट याचिकाकर्ता थे) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (युगल पीठ में अपील) अधिनियम, **2006** की धारा **2(1)** के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है, जो प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध दायर है। इसमें दिनांक **06.10.2007** के उनके निर्णय (परिशिष्ट–पी/**5**) को अभिखंडित करने का निवेदन किया गया है, जिसके द्वारा प्रत्यर्थीगण ने रिट याचिकाकर्ता के पिता के असामयिक निधन के पश्चात, स्वयं याचिकाकर्ता अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किए जाने संबंधी आवेदन को अस्वीकार कर दिया है।

3. इस विवाद को प्रमाणित करने के लिए, जो एक सीमित दायरे में सिमटा हुआ है, कुछ सुसंगत निर्विवाद तथ्यों का उल्लेख करना आवश्यक है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. श्री पुनी दास मानिक पुरी प्रत्यर्थीगण के यहाँ कार्यरत थे - जो कि भारत सरकार की एक कंपनी है और कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (संक्षेप में - एनटीपीसी) के नाम से पंजीकृत है। एनटीपीसी बिजली उत्पादन और बिक्री के व्यवसाय में लगी हुई है और इसका संयंत्र कोरबा में स्थित है। श्री पुनी दास पुरी - एक तकनीकी कुशल कर्मचारी - संयंत्र में ओ एंड एम-सीएचपी नामक विभाग में ऑपरेटर ग्रेड - **III** (डब्ल्यू-**5**) के पद पर कार्यरत थे।

5. दिनांक **07.07.2007** को श्री पुरी हमेशा की तरह ड्यूटी पर आए और ड्यूटी के दौरान ही उनका निधन हो गया। मृत्यु का कारण जानने के लिए शव परीक्षण किया गया। रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया कि श्री पुरी की मृत्यु दम घुटने से हुई।

6. याचिकाकर्ता श्री पुरी के पुत्र हैं। उन्होंने अपनी माता के माध्यम से एनटीपीसी की अनुकंपा नियुक्ति नीति के तहत अपने या अपने परिवार के किसी आश्रित सदस्य के लिए उपयुक्त रोजगार हेतु आवेदन किया। याचिकाकर्ता के अनुसार, उनके परिवार के मुखिया श्री पुरी का ड्यूटी के दौरान निधन हो गया, जिससे उनका परिवार अचानक

बेघर हो गया। अतः एनटीपीसी की अनुकंपा नियुक्ति नीति के तहत वे या उनके परिवार का कोई आश्रित सदस्य एनटीपीसी में रोजगार के पात्र हैं। तदनुसार, यह अनुरोध किया गया कि उन्हें या उनके परिवार के किसी अन्य सदस्य को एनटीपीसी में नियुक्ति दी जाए ताकि परिवार के जीवित सदस्य अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें।

7. प्रत्यर्थी (एनटीपीसी) ने याचिकाकर्ता के आवेदन में कोई गुणानुगुण नहीं पाई और तदनुसार इसे इस आधार पर खारिज कर दिया कि श्री पुरी की मृत्यु किसी दुर्घटना के कारण नहीं हुई थी, बल्कि "श्वास" नामक बीमारी के कारण घटित हुई थी, इसलिए उनके परिवार का कोई भी सदस्य योजना के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति के लिए इस मृत्यु का लाभ लेने का हकदार नहीं था। दूसरे शब्दों में, याचिकाकर्ता के आवेदन को अस्वीकार करने का मुख्य कारण यह था कि श्री पुरी की मृत्यु ड्यूटी के दौरान हुई थी लेकिन चूंकि यह किसी दुर्घटना के कारण नहीं हुई थी और न ही इसका उनके रोजगार संबंधी कार्यों से कोई संबंध था, इसलिए मृत्यु के कारण और कर्तव्यों के बीच कोई संबंध न होने और आकस्मिक मृत्यु न होने के कारण, याचिकाकर्ता का आवेदन विचारणीय नहीं था। इसी अस्वीकृति के विरुद्ध पुत्र ने व्यथित होकर रिट याचिका दायर की, जिससे यह अपील उत्पन्न हुई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका खारिज कर दी। उनका मत था कि मृत्यु का कारण, अर्थात् "श्वास घुटना" "दुर्घटना" की श्रेणी में नहीं आता और इसलिए याचिकाकर्ता अनुकंपा योजना के तहत रोजगार प्राप्त करने के लिए ऐसी मृत्यु का कोई लाभ लेने का हकदार नहीं है। यह माना गया कि एनटीपीसी की नीति में अन्य बातों के अलावा यह प्रावधान है कि केवल ऐसे आश्रितों को ही रोजगार दिया जाएगा जिनके परिवार के कमाने वाले की मृत्यु ड्यूटी के दौरान हुई किसी दुर्घटना के कारण हुई हो या जब मृत्यु का उनके कर्तव्यों से कोई संबंध हो। यह माना गया कि इस मामले में चूंकि याचिकाकर्ता इस मानदंड को साबित करने में सक्षम नहीं था, इसलिए वह अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए बनाई गई नीति के तहत किसी भी रोजगार का दावा

करने का हकदार नहीं था। दूसरे शब्दों में, यह माना गया कि श्री पुरी की मृत्यु न तो आकस्मिक थी और न ही इसका उनके कर्तव्यों से कोई संबंध था। इस निष्कर्ष को दर्ज करने के बाद, रिट न्यायालय ने रिट याचिका खारिज कर दी, जिसके कारण अब याचिकाकर्ता (पुत्र) द्वारा यह अंतर-न्यायालय अपील दायर की गई है।

9. अपीलकर्ता (रिट याचिकाकर्ता) के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन था कि रिट न्यायालय ने अपीलकर्ता की रिट याचिका खारिज करने में त्रुटि की है। उनके अनुसार यह माना जाना चाहिए था और अपीलकर्ता के पक्ष में यह मानने के लिए पर्याप्त सबूत थे कि श्री पुरी की मृत्यु ड्यूटी पर रहते हुए दुर्घटना के कारण हुई थी, अर्थात् यह आकस्मिक प्रकृति की थी और इसलिए ऐसी घटना रिट याचिकाकर्ता या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को एनटीपीसी की इस संबंध में बनाई गई नीति के अनुसार रोजगार प्राप्त करने का अधिकार देती है। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि "दुर्घटना" शब्द की व्याख्या अंग्रेजी न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय दोनों द्वारा लगातार उदारतापूर्वक और व्यापक रूप से की गई है, जिसमें कर्तव्य के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना या अप्रिय घटना शामिल है, जिसके कारण किसी बाहरी बल द्वारा किसी व्यक्ति को चोट या मृत्यु हो जाती है, जो पीड़ित की जानकारी में नहीं होती है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि मृत्यु का कारण "दम घुटना" होना ही यह दर्शाता है कि यह सामान्य परिस्थितियों में नहीं बल्कि अप्राकृतिक परिस्थितियों में हुई थी और संभवतः कारखाने परिसर में व्याप्त किसी प्रकार की बाहरी शक्तियों के कारण हुई थी, जिसके लिए मृतक (पीड़ित) जिम्मेदार नहीं था। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उनके शरीर पर हुए इस अप्रत्याशित बाहरी प्रभाव के कारण वे ठीक से सांस नहीं ले पा रहे थे और उनकी मृत्यु घुटन या दम घुटने के कारण हुई, जिससे उनकी श्वसन प्रणाली बाधित हो गई और श्वसन तंत्र को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, जिसके परिणामस्वरूप उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि ऐसी मृत्यु को रोजगार के दौरान हुई एक आकस्मिक मृत्यु माना जाना चाहिए, जिससे

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता नीति की शर्तों के अनुसार रोजगार प्राप्त करने के लिए इसके लाभ का हकदार हो सके। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यह एक कल्याणकारी योजना है जिसका उद्देश्य मृतक परिवार के सदस्यों के आश्रितों को सांत्वना देना और उनके परिवार के मुखिया की असमय मृत्यु के कारण उत्पन्न आर्थिक कठिनाई से उन्हें राहत प्रदान करना है, इसलिए अपीलकर्ता द्वारा किए गए आवेदन पर उदारतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए था और उसे स्वीकार किया जाना चाहिए था। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों के समर्थन में कुछ प्रामाणिक संदर्भ और शब्द 'दम घुटना' के शब्दकोशीय अर्थों का हवाला दिया।

10. हालांकि, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने रिट न्यायालय के तर्क और निष्कर्ष का समर्थन किया और इसे बरकरार रखने की प्रार्थना की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. प्रारंभ में, यह बताना उचित होगा कि इस मामले का मुख्य विवाद्यक यह है कि किसी कर्मचारी को ड्यूटी पर रहते हुए हुई दुर्घटना/चोट का क्या अर्थ है, और दूसरा, ऐसी दुर्घटना/चोट कब उसके रोजगार के दौरान और उसके रोजगार से उत्पन्न मानी जा सकती है, जिससे वह कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत अपने नियोक्ता से मृत्यु/चोट के लिए प्रतिकर का दावा करने का हकदार हो सके। यह विवाद्यक मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष सुंदरबाई बनाम जनरल मैनेजमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जबलपुर **1976** एमपीएलजे **356** में विचाराधीन था। उस मामले में, महाधमनी धमनीविस्फार (एन्यूरिज्म) नामक बीमारी से पीड़ित श्रमिक की अपने सामान्य कार्य के दौरान धमनीविस्फार फटने से मृत्यु हो गई। शव-परीक्षण रिपोर्ट से पता चला कि उसकी मृत्यु धमनीविस्फार फटने के कारण हुई थी। आयुक्त, कर्मकार प्रतिकर ने आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि न तो मृत्यु किसी चोट के कारण हुई न ही रोजगार के दौरान कोई दुर्घटना हुई, और न ही इसका उसके रोजगार से कोई संबंध था। उसकी पत्नी (विधिक प्रतिनिधि) द्वारा दायर अपील पर, उच्च न्यायालय ने अपील स्वीकार कर ली और अपीलकर्ता को उसकी मृत्यु के लिए प्रतिकर दिया।

माननीय न्यायाधीश जी.पी. सिंह (जो उस समय न्यायाधीश थे और बाद में मुख्य न्यायाधीश बने) ने पीठ की ओर से विचार करते हुए इस मुद्दे की गहन जांच की। उन्होंने इस विषय पर कई प्रमुख अंग्रेजी निर्णयों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के आलोक में इस मामले का बारीकी से अध्ययन किया और इस विषय पर सभी कानूनी मामलों की समीक्षा करने के बाद, साथ ही न्यायालयों द्वारा ऐसे मुद्दों से निपटने के सुसंगत दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, अपनी विशिष्ट लेखन शैली और अभिव्यक्ति की स्पष्टता के माध्यम से न्यायालयों के मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित कानूनी सिद्धांतों को प्रस्तुत किया।

"10. प्राधिकारियों की समीक्षा करने पर, हमारे उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक सिद्धांतों को निम्न प्रकार से बताया जा सकता है:-

(क) "दुर्घटना" का अर्थ है एक अनपेक्षित दुर्घटना जो श्रमिक द्वारा अपेक्षित या योजनाबद्ध न हो। "चोट" का अर्थ है शारीरिक चोट।

(ख) "दुर्घटना" और "चोट" उन मामलों में भिन्न होते हैं जहाँ दुर्घटना किसी व्यक्ति के बाह्य रूप से घटित होने वाली घटना है; उदाहरण के लिए, जब कोई श्रमिक सीढ़ी से गिर जाता है और उसे चोट लगती है। लेकिन दुर्घटना एक ऐसी घटना भी हो सकती है जो किसी व्यक्ति के आंतरिक रूप से घटित होती है और दोनों ही मामलों में "दुर्घटना" और "चोट" एक ही अर्थ में घटित होती हैं। ऐसे मामलों का उदाहरण है, श्रमिक के सामान्य कार्य करते समय धमनीविस्फार का फटना, हृदय गति रुक जाना आदि।

(ग) किसी श्रमिक द्वारा मुख्य रूप से रोजगार से असंबंधित किसी बीमारी के बढ़ने के कारण हुई शारीरिक चोट, रोजगार के दौरान हुई चोट मानी जा सकती है, यदि वह कार्य जो श्रमिक चोट लगने के समय कर रहा था, उस चोट के होने में योगदान देता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(घ) चोट और रोजगार के बीच संबंध सामान्य कार्य के सामान्य तनाव द्वारा स्थापित किया जा सकता है, यदि तनाव वास्तव में चोट में योगदान देता है या उसे बढ़ाता है या चोट को तेज करता है।

(ङ) रोजगार और चोट के बीच संबंध साबित करने का भार आवेदक पर है, लेकिन यदि संभावनाओं के संतुलन के आधार पर एक तर्कसंगत व्यक्ति यह मान सकता है कि अधिक संभावित निष्कर्ष यह है कि दोनों के बीच संबंध था, तो आवेदक को सफलता प्राप्त करने का अधिकार है।

12. इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय को क्षेत्रीय निदेशक, ई.एस.एल. कॉर्पोरेशन और अन्य बनाम फ्रांसिस डी कोस्टा और अन्य **(1993** अनुपूरक **(4)** एस.सी.सी. **100)** के मामले में **"**दुर्घटना**"** शब्द के अर्थ पर विचार करने का अवसर मिला और सिंह न्यायाधीश द्वारा सुंदरबाई **(**उपरोक्त**)** में दिए गए अर्थ को स्वीकार करते हुए, निम्नलिखित निर्णय दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. ... **'**दुर्घटना**'** शब्द का आम और प्रचलित अर्थ अप्रत्याशित घटना या ऐसी अनचाही घटना है जो अचानक घटित होती है और जानबूझकर की जाती है। दुर्घटना को दुर्घटना ही माना जाना चाहिए, उस कामगार के दृष्टिकोण से जो इससे पीड़ित है, क्योंकि यह घटना अप्रत्याशित है और उसकी ओर से जानबूझकर नहीं की गई है, चाहे यह घटना के रचयिता द्वारा जानबूझकर की गई हो या किसी अन्य कारण से**..."**

13. अब सुंदरबाई के मामले **(**पूर्वोक्त**)** में न्यायाधीश सिंह द्वारा उद्धृत मामलों में निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने बाद के वर्षों में कई निर्णयों में अनुमोदित किया है, जिसमें ऊपर उल्लिखित निर्णय भी शामिल है, और इसे वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि श्री पुरी की मृत्यु रोजगार के दौरान हुई दुर्घटना के कारण हुई। दूसरे शब्दों में, हमारी राय में**,** यह एक आकस्मिक मृत्यु थी। दरअसल**,** श्री पुरी की मृत्यु **"**दम घुटने**"** के कारण

हुई, यह तथ्य हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचाता है कि उनकी मृत्यु किसी बाहरी बल/कारक के कारण हुई जिसने उनके शरीर के आंतरिक अंगों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला और उन्हें मृत्यु के लिए प्रेरित किया। ऐसी मृत्यु में मृतक की कोई भूमिका नहीं थी। हम "दम घुटने" शब्द के शब्दकोश अर्थ का संदर्भ ले सकते हैं, जो स्पष्ट रूप से बताता है कि बेहोशी, घुटन या गतिरोध की एक रोगजनित स्थिति, जिसके परिणामस्वरूप उपचार न मिलने पर मृत्यु हो जाती है, जो सामान्य श्वसन में किसी गंभीर बाधा (जैसे वायुमार्ग में अवरोध, जहरीली गैसों या अत्यधिक दूषित हवा का साँस लेना, घुटन या डूबना) के कारण उत्पन्न होती है, जिसके परिणामस्वरूप रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। (एडवांस्ड लॉ लेक्सिकॉन, पृष्ठ **362** देखें)।

14. हमारी राय में, शरीर के आंतरिक अंगों पर किसी बाहरी कारक के प्रतिकूल प्रभाव से होने वाली कोई भी मृत्यु, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे अंग को क्षति पहुँचती है या अवरोध उत्पन्न होता है जिस पर मृतक (पीड़ित) का कोई नियंत्रण नहीं था, एक अप्रिय घटना मानी जाएगी और इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत "दुर्घटना" की परिभाषा के अंतर्गत आएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. इस मामले में, एनटीपीसी ने मृत्यु के कारण पर कोई विवाद नहीं किया और उसी शवपरीक्षण रिपोर्ट पर अवलंब लिया, जिस पर याचिकाकर्ता ने अवलंब लिया था। इस स्वीकृत तथ्य के आलोक में, यह आसानी से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मृत्यु न तो स्वाभाविक थी और न ही मृतक की अपनी गलती के कारण हुई, बल्कि यह किसी बाहरी कारक के हस्तक्षेप के कारण हुई जिसने कार्य पर रहते हुए मृतक के आंतरिक अंगों को चोट पहुँचाई और जिसके परिणामस्वरूप उसे सांस लेने में असुविधा हुई या उसके श्वसन तंत्र में घुटन हुई, जिससे उसके शरीर में ऑक्सीजन की सामान्य आपूर्ति और अंतर्ग्रहण इस हद तक बाधित हुआ कि घुटन/घुटन या ऑक्सीजन की कम आपूर्ति के कारण उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।

16. हमारी राय में, यह श्री पुरी की अप्राकृतिक मृत्यु का स्पष्ट मामला है जो ड्यूटी के दौरान दुर्घटना के कारण हुई थी और चूंकि एनटीपीसी द्वारा इसके विपरीत कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, किसी भी प्रकार का सबूत पेश करके, हम यह मानने के लिए इच्छुक हैं कि श्री पुरी की मृत्यु ड्यूटी के दौरान हुई एक दुर्घटना थी।

17. किसी भी अप्रत्याशित घटना के पीड़ितों के आश्रितों को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई किसी भी लाभकारी योजना की व्याख्या करते समय, उसके प्रशंसनीय उद्देश्य को सर्वोपरि रखना चाहिए और उसमें प्रयुक्त शब्दों की उदार और व्यापक व्याख्या करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए, ताकि उस व्यक्ति को लाभ मिल सके जिसके लाभ के लिए ऐसी योजना बनाई गई है। हम योजना के प्रावधानों और संबंधित अभिव्यक्तियों की व्याख्या करते समय इस सिद्धांत को इस मामले के तथ्यों पर अक्षरशः और भावना सहित लागू करना पसंद करते हैं, और यह याचिकाकर्ता के पक्ष में है, क्योंकि हमारी राय में, यह सर्वोच्च न्यायालय और संदर्भित उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुरूप है (पूर्वोक्त)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. उपरोक्त निष्कर्ष के आलोक में, हमारा यह मत है कि याचिकाकर्ता निर्विवाद तथ्यों के आधार पर नीति की आवश्यकता को सिद्ध करने में सक्षम था कि श्री पुरी (उनके पिता) की मृत्यु

ड्यूटी पर रहते हुए हुई दुर्घटना के कारण हुई थी और इसलिए वे मृतक के परिवार के एक आश्रित को रोजगार देने के लिए एनटीपीसी द्वारा बनाई गई लाभकारी योजना/नीति का लाभ उठाने के हकदार थे।

19. उपरोक्त चर्चा को देखते हुए, हम रिट न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क और निष्कर्ष से सहमत नहीं हैं।

20. इसके परिणामस्वरूप, अपील सफल होती है और स्वीकार की जाती है। आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है और इसके स्थान पर अपीलकर्ता की रिट अपील स्वीकार

की जाती है। फलस्वरूप, प्रत्यर्थीगण द्वारा दिनांक **06.10.2007** को जारी आदेश/पत्र-व्ययहार **(**अनुलग्नक-पी**/5)** को उत्प्रेषण रिट जारी करके अभिखंडित किया जाता है।

21. परमादेश रिट जारी करके प्रत्यर्थीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता के मामले की जांच करें ताकि यह पता चल सके कि श्री पुरी के परिवार के कई आश्रित सदस्यों में से **(**यदि एक से अधिक हैं**)** किसे एनटीपीसी की योजना के अनुसार रोजगार दिया जाना चाहिए और तदनुसार, उनकी योग्यताओं का आवश्यक सत्यापन करने के बाद, सबसे उपयुक्त आश्रित सदस्य को इस आदेश की तिथि से तीन महीने के भीतर नियुक्ति दें।

22. अपील/रिट याचिका की वाद-व्यय **5000** रुपये है, जो प्रत्यर्थी द्वारा अपीलकर्ता को देय है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

अभय मनोहर सप्रे

न्यायाधीश

सही/-

मनिंद्रा मोहन श्रीवास्तव

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Durga Mehar Adv.